[2018] 6 एस. सी. आर 607

नूतन रानी और ए. एन. आर. वी.

गुरमैल सिंह और हमारा।

(2018 की सिविल अपील संख्या 6639)

20 जुलाई, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 –धारा 166–क्षतिपूर्ति–पुरस्कार–प्रति माह 3,000 रुपये का वेतन पाने वाले 30 वर्षीय विक्रेता की मोटर दुर्घटना में मृत्यु–मृतक की आय की गणना–भविष्य की संभावनाओं के कारण जोड़–व्यक्तिगत व्यय के लिए एक तिहाई की कटौती–स्वामित्व–आयोजितःमृतक की आय की गणना करते समय, मृतक की आयु को देखते हुए, भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत का जोड़ आवश्यक है और व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती भी उचित है–उच्च न्यायालय ने मृतक की आय की गणना करने में भविष्य की संभावनाओं का लाभ नहीं देने में गलती की–कानूनी उत्तराधिकारियों को देय कुल मुआवजा जिसकी गणना तदनुसार की जाती है।

एक 30 वर्षीय विक्रेता की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारियों को न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजा दिया गया जिसे उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाया गया था।तत्काल अपील में, यह मुद्दा उठा कि क्या उच्च न्यायालय मृतक की आय की गणना करते समय भविष्य की संभावनाओं के कारण राशि नहीं जोड़ने और व्यक्तिगत व्यय के लिए राशि का एक तिहाई हिस्सा काटने में सही था।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाःउच्च न्यायालय ने मृतक की आय की गणना में भविष्य की संभावनाओं का लाभ नहीं देने में गलती की।

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय को उचित सम्मान देना।

सेठी के मामले में, मृतक की उम्र को देखते हुए, भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता है।व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती उचित है।प्रणय सेठी में निर्णय के संदर्भ में अपीलार्थीगण को देय कुल मुआवजे की गणना रु. 6,41,200–के रूप में की जाती है।ब्याज

याचिका की तारीख से भुगतान तक उक्त राशि पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अनुमति है।

* राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम.प्रणय सेठी

(2017) 16 एस. सी. सी. 680–संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

(2017) पैरा 6 में निर्दिष्ट 16 एस. सी. सी. 680

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2018 की सिविल अपील सं. 6639।

1998 के एफ. ए. ओ. सं. 1949 (ओ. एंड. एम.) में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।सिद्धार्थ मित्तल, नयन नेपाल, सुश्री उषा नंदिनी।वी, एड.अपीलार्थीगण के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. 1.अपील एक से है

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ के फैसले के खिलाफ पहली अपील में 23 फरवरी 2011 को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का फैसला।

2. अपीलार्थीगण अशोक कुमार के उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि हैं जिनकी 31 मार्च 1994 को एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई थी।दुर्घटना के समय वे 30 वर्ष के थे और लुधियाना में एक फर्म में कमीशन एजेंट/सेल्समैन के रूप में काम करते थे।दुर्घटना उस समय हुई जब वह चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम की एक बस में यात्रा कर रहे थे।जब वह बस से उतर रहे थे, तो बस अचानक आगे बढ़ गई, जिससे वह गिर गए। गिरने से गंभीर चोटें आईं और अगले दिन उनकी मौत हो गई।

3. मृतक के उत्तराधिकारियों ने न्यायाधिकरण के समक्ष मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत एक दावा याचिका दायर की, जिसमें 1 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की गई।न्यायाधिकरण ने कहा कि बस चालक की ओर से लापरवाही साबित नहीं हुई।हालांकि, प्रति वर्ष 12 प्रतिशत ब्याज के साथ नो फॉल्ट लायबिलिटी के लिए 1,000 रुपये की राशि दी गई थी।

4. अपील में, उच्च न्यायालय ने बस चालक से पूछताछ न करने के कारण एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला और कुल ए का आदेश दिया। रुपये 3,98,500 का मुआवजा।हालांकि, ब्याज की दर घटाकर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी गई थी।उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित, उत्तराधिकारी अपील में हैं।

5. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने मुआवजे के पुरस्कार पर यह आग्रह करते हुए हमला किया है किः

आई. भविष्य की संभावनाओं के कारण कोई जोड़ नहीं किया गया था;

ii.उच्च न्यायालय ने यह विचार किए बिना कि मृतक की आय अत्यंत कम थी, व्यक्तिगत व्यय के लिए राशि का एक तिहाई हिस्सा काटकर गलती की। 3, 000 प्रति माह।कम आय अर्जित करने वाला व्यक्ति, जिसका भरण–पोषण करने के लिए परिवार है, अपनी आय का एक तिहाई हिस्सा अपने व्यक्तिगत खर्च पर खर्च नहीं करेगा; और

iii.बिना किसी पर्याप्त कारण के एम. ए. सी. टी. द्वारा दी गई ब्याज दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया था।

6. हम इस निवेदन में योग्यता पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने मृतक की आय की गणना में भविष्य की संभावनाओं का लाभ नहीं देने में गलती की।द्वारा दिए गए निर्णय का उचित सम्मान करते हुए

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड में इस न्यायालय की संविधान पीठ। v प्रणय सेठी 1, भविष्य की संभावनाओं के लिए एक अतिरिक्त आवश्यकता है।व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती उचित है।7 प्रणय सेठी (ऊपर) में संविधान पीठ का निर्णय, मृतक की उम्र को ध्यान में रखते हुए भविष्य की संभावनाओं के कारण

40 प्रतिशत की वृद्धि का आश्वासन देता है।प्रणय सेठी में निर्णय के संदर्भ में अपीलार्थीगण को देय कुल मुआवजे की गणना नीचे की गई हैः

आयः3, 000/– रुपये

भविष्य की संभावनाओं की दिशा में प्रतिशत वृद्धिः40% · 3000 x 40% = 1,200/– रु.

कुल आयः4, 200/– रु.

एक तिहाई कटौतीःकटौती के बाद आय 1,400/– रुपयेः2, 800/– रु.

वार्षिक आय = 2800 x 12 = 33,600/– रुपये

· गुणा लागू किया गयाः17 (चूंकि मृतक की आयु 30 वर्ष थी) · निर्भरता का नुकसानः33, 600 x 17 रुपये = 5,71,200 –

संघ का नुकसानः40, 000/– रु. संपत्ति का नुकसानः15, 000/– रुपये · अंतिम संस्कार का खर्चः15, 000/– कुल मुआवजा = 6,41,200 –

8. याचिका की तारीख से भुगतान तक उपरोक्त राशि पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की अनुमति है।

9. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

1 (2017) 16 एससीसी 680